

26/11/24

सामग्रीय न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन के समक्ष

दो 22/11/24

कार्यालय मुख्य पत्रार्थपालक अश्विनी-ग्राम पंचायत, कदवालिया, (खोड़ी)  
जिला पंचायत, खरगोन (म.प्र.)

..... प्रार्थी

25 NOV 2024 सविन-ग्राम पंचायत, कदवालिया, (खोड़ी)

..... प्रार्थी

शाखा-  
म.परि/परि.अधि. मु.को. ASSOCIATE ALCOHOL AND BREWERIES LTD  
KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE

..... प्रत्यर्थी

7657  
26/11/24

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा -81 के तहत आवेदन प्रस्तुत है-  
प्रार्थीगण कि और से साक्षर निवेदन है कि - ग्राम पंचायत कदवालिया, (खोड़ी) में ASSOCIATE  
ALCOHOL AND BREWERIES LTD KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE को बकाया सम्पत्ति  
कर जमा करणे हेतु म.प्र. ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 भाग- दो, भूमि  
तथा भवन पर सम्पत्ति कर (6) भवन पर सम्पत्ति कर की दर- अधिनियम की अनुसूचि 1- क. कि मद  
(1) तथा धारा 77-क के तहत दो सप्ताह के भीतर बकाया सम्पत्ति कर राशि जमा करने हेतु  
सूचना पत्र, डिमांड नोटिस प्रेषित किया गया था। किन्तु उक्त प्रतिष्ठान के द्वारा बकाया सम्पत्ति  
कर जमा नहीं करवाया गया जिसे हेतु म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा  
-81 में प्रावधान है कि- इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर की कोई रकम कलेक्टर के द्वारा  
इस प्रकार बसूल की जायेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो। गाननीय न्यायालय के समक्ष  
साक्षर प्रावधान के तहत आर.आर.सी ग्राम पंचायत कदवालिया, (खोड़ी) के पक्ष में जारी करने हेतु  
आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रकरण तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण के प्रमुख तथ्य

यह कि संविधान (तिहस्तारवां संशोधन) अधिनियम, 1982 भाग नौ-पंचायत 243-ज-पंचायतों  
द्वारा करारोपण की शक्तियां और निधियां- (क) किसी पंचायत को ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों, और  
फिस्तों के उदग्रहण, संग्रहण, और विनियोग के लिये ऐसी प्रकिया के अनुसार और ऐसी रीतिगों के  
अधीन प्राधिकृत कर सकता है।

5316  
25-11-24

यह कि म.प्र. ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 भाग- दो भूमि तथा  
भवन पर सम्पत्ति कर (6) भवन पर सम्पत्ति कर की दर- अधिनियम की अनुसूचि 1- क कि मद  
(1) तथा धारा 77-क की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा नियम 3 में विहित कि  
गई प्रकिया का अनुसरण करने के पश्चात प्रत्येक ग्राम सभा, भूमि या भवन दोनों पर, भवन तथा  
भूमि के पूंजी मूल्य पर आधारित ऐसी कर से दर अधिरोपित करेगी, जैसी उसके द्वारा विनिश्चित  
किया जाए और जो प्रथम अनुसूचि में विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम दर से कम और अधिकतम दर से  
अधिक नहीं होगी

नियम 5-कर किसके द्वारा देय होगा- कर उस भवन के स्वामी के द्वारा देय होगा, जिस पर वह  
निर्धारित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर  
प. निम्नाइ (खरगोन) म.प्र.  
शाखा-  
25 NOV 2024  
संख. अशी/म.प्र.

निरन्तर-2

रूपच

ग्राम पंचायत कदवालिया

प्रथम-अनुसूचि  
( नियम 5 देखिए)

(2)

भूमि तथा भवन पर कर की दर

क.	विवरण	न्यूनतम (1)	अधिकतम (2)
1	उन भवनों पर, जिनका पूँजी मूल्य 6000 रु से अधिक किन्तु 12000 रु से अधिक न हो	पूँजी मूल्य के प्रत्येक 100 रु या उसके किसी भाग पर 20 पैसे	पूँजी मूल्य के प्रत्येक 100 रु या उसके किसी भाग पर 30 पैसे
2	12000 रु से अधिक पूँजी मूल्य के भवनों पर कर	पूँजी मूल्य के प्रत्येक 500 रु या उसके किसी भाग पर 1 रुपया	पूँजी मूल्य के प्रत्येक 500 रु या उसके किसी भाग पर 1.50 रु

उक्त नियमों के अनुसार गणना उपरान्त उक्त प्रतिष्ठान का 03 वर्षों का सम्पत्ति कर राशि रूपये 40468757- (अक्षरी रूपये चार करोड़ चार लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र) ग्राम पंचायत का बकाया है।

यह कि समस्त नियमों एवं विधि अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए बकाया सम्पत्तिकर की राशि ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा किए जाने हेतु उक्त प्रतिष्ठान को कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक 150/पंचा/2024/ दिनांक 13.09.2024 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विधिवत सूचित कर की राशि कार्यालय ग्राम पंचायत के खाते में यदि जमा कराई गई हो तो उसकी पावती रसीद कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु 15 दिवस की समयवधि दी गई थी। उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात भी संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रदान नहीं दिये जाने पर, ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार सम्पत्ति कर कि गणना करते हुए कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक 162/पंचा/2024/ दिनांक 07.10.2024 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बकाया सम्पत्तिकर कि राशि जमा कराये जाने हेतु डिमांड नोटिस दिया गया था। उक्त मांग पत्र दिये जाने के उपरान्त भी राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं कि गई है।


इस ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया बिल विधिवत भुगतान किये जाने योग्य है। यह कि उक्त प्रतिष्ठान को सूचना पत्र तामिली हो जाने के उपरान्त भी प्रतिष्ठान के द्वारा बकाया सम्पत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाना उक्त म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के उपबन्धों के विपरीत है। प्रतिष्ठान को जारी सूचना पत्र, डिमांड नोटिस की छायाप्रति परिशिष्ट-1 एवं 02 में संलग्न है।

प्रकरण में विशेष तथ्य यह है कि प्रतिष्ठान के द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त हो जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस को म.प्र. पंचायत (कराधान के विरुद्ध अपीलों की रीति तथा परिसीमा) नियम, 1995 के उपबन्धों के अधीन सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

यह कि उक्त प्रतिष्ठान को सूचना पत्र तामिली हो जाने एवं बकाया सम्पत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाने तथा अधिरोपित कर के विरुद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के फल स्वरूप सदर याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पड़ा है।

प्रकरण के प्रमुख आधार

F. यह कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 (3) - विधि के प्राधिकार के अधीन अधिरोपित किया गया कोई कर अधिरोपित करती है तो, उसका उद्देश्य जन कल्याण के कार्यों के लिए निधि प्राप्त करना होता है और किसी भी कर का अधिरोपण प्राधिकारी के अधीन होने पर जनहित में होता है।

  
रूपच

निरन्तर-3

G. यह कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वशासन अधिनियम 1993 की धारा --01 में प्रावधान है कि- इस अधिनियम के अधीन अधिशोधित कर की कोई रकम कलेक्टर को द्वारा इस प्रकार वसूल की जायेगी मानो वह भू राजस्व की बकाया हो।

H. यह कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वशासन अधिनियम 1993 की धारा --02 में प्रावधान है कि- जब कोई व्यक्ति किसी कर, पीसा, पर या किसी अन्य शोध रकम का संवाय करने में त्रुटि करता है तो, वह बकाया की रकम को अधिशोधित शरित के तौर पर पीस की रूपये की या ऐसे कर, पीसा, पर की रकम की, या अन्य किसी शोध रकम कि जो भी उचित हो, उस गुना राशि का संवाय करने को लिए दायी होगा।

I. यह कि मध्यप्रदेश पंचायत ( करों को अधिशोधन, निर्धारण, संग्रहण, तथा विनियमन) नियम, 1998 8-करों को लिए बिल प्रस्तुत करना-

(5) जब किसी अधिशोधित कर को मन्वे कोई रकम देम तो, तो गणारिषति, ग्राम पंचायत का सचिव या जनपद का मुख्य कार्यालयक अधिकारी, जैसी भी कि वशा हो, व्यवहार्य मिलम्ब के बिना ऐसी दावा की गई शोध रकम को लिए बिल का भुगतान करने को लिए दायी किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

(6) ऐसी प्रत्येक बिल में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:-

- (क) वह कालावधि जिसके लिए, और
- (ख) वह सम्पत्ति, व्यवसाय अथवा वस्तु जिसके संबंध में, राशि का दावा किया गया है और निम्नलिखित की सूचना भी देगा:-

- (1) भुगतान के व्यतिक्रम में उद्भूत दायित्व, तथा
- (2) समय जिसके भीतर ऐसे दावे के विरुद्ध कोई आपत्ति उठाई जा सकेगी।

नियम-7 यदि बिल का भुगतान 15 दिनों के भीतर न किया जाए तो मांग सूचना का जारी करना- यदि उस राशि का जिसके लिए उपरोक्तानुसार बिल प्रस्तुत किया गया है, भुगतान न किया जाए या बिल के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति न ली गई हो तो यथास्थिति, ग्राम पंचायत का सचिव या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया हो; उपविधियों द्वारा विहित प्ररूप में मांग सूचना भेजेगा।

J मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /630/पंचा.वि.वि./2022 भोपाल दिनांक 28.08.2022 में कलेक्टर जिला-समस्त म.प्र. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-समस्त म.प्र. को पंचायत क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण एवं कर संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। परिशिष्ट 3

K मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन का पत्र कमांक 5234/पंचा.प्रको/2024 खरगोन दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से भी संपत्ति कर निर्धारण एवं कर संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। परिशिष्ट 4


यह कि उक्त प्रतिष्ठान से 03 वर्षों का सम्पत्ति कर राशि रूपये 40468757- (अक्षरी रूपये चार करोड़ चार लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र) मात्र बकाया सम्पत्ति कर के वसूली हेतु आर.आर. सी. का जारी किया जाना न्याय हित में समीचीन है।

यह कि सदर आवेदन पत्र, माननीय न्यायालय के श्रवण अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना

यह कि श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि ASSOCIATE ALCHOHAL AND BREWERIES LTD KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE से बकाया सम्पत्ति कर राशि रूपये 40468757- (अक्षरी रूपये चार करोड़ चार लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र) मात्र की वसूली हेतु ग्राम पंचायत कदवालिया, (खोड़ी) के पक्ष में आर.आर.सी. जारी करने का कष्ट करेंगे।



  
सरपंच  
ग्राम पंचायत कदवालिया